कार्यालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, लखनऊ।

संख्या: 751/पी0के0/2021-22 दिनांक: 08/10/2021

विषय:- जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

श्री दुर्गेश सैनी, एड़वोकेट
सिविल कोर्ट-लखनऊ।

आप अपने जनसूचना प्रार्थना पत्र दिनांक 17-9-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्राम शेरपुरलवल, परगना निगोहां, तहसील मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ के सम्बंध में दो बिन्दुंओं पर सूचना चाही गयी है। वांछित सूचना चकबन्दी अधिकारी, मोहनलालगंज से प्राप्त की गयी, जिसकी छायाप्रति प्रमाणित कर पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

08/10/21
(दूधनाथ पाण्डेय)
जनसूचना अधिकारी/
बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी
लखनऊ।

Scanned with CamScanner

10 चक० अ० महोदय
बख्शी का तालाब, लखनऊ

महोदय,

अधिवक्ता दुर्गेश सैनी (सिविल कोर्ट, लखनऊ) द्वारा ग्राम शेरपुर लवल, परगना निगोहा तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ के संबंध में जनसूचना अधिनियम के तहत मांगी गई बिन्दुवार सूचना निम्नवत है।

1), हाँ, ग्राम चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत है।

2) ग्राम शेरपुर लवल के चक निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। नियमतः तत्समय करते समय जिन गाटों पर आवासीय गतिविधियां रहती हैं गाटों के उन हिस्सों को चकबंदी से पृथक किया जाता है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

[signature] 29-9-21

चक० अ० मोहनलालगंज लखनऊ

चकबन्दी कर्ता की आख्या सेवा में प्रेषित है।

ह० [signature] 29/9/21
स० चक० अ०
मोहनलालगंज
लखनऊ

बं०चक० अ०
लखनऊ।

स० ब० चक० अधि०
आख्या अवलोकन हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

PK

06.10.2021

ह० [signature]
05/10/2021

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित 1994) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाले प्लाटिंग कार्यो को नियंत्रित एवं विनियमिति करने विषयक उपविधियां अन्तर्गत कार्यालय में आपके द्वारा ग्रामसभा--शेपुरलवल विकास खण्ड मोहनलालगंज में खसरा संख्या 1091, 1092, 1098, 1106क, 1111क, 1112 से 1115 में कुल प्लाटेड एरियां 5252.57 वर्गमीटर के प्लाटिंग कार्य मानचित्र प्रेषित किया गया है, जो ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिलें में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिक्ति उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण, यू.पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहरण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो, में नही है। इस प्रकार मानचित्र वर्ष 2021 का निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से प्रदान की जाती है कि--

1- कि सिलिंग/भू--अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू--स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2--मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।

3--स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, जो कि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता/अवर अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा जांच किया जा सके।

4--कार्यस्थल पर होने वाले कार्यो का जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कराया जायेगा। तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यो का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेगें।

5--प्लाटिंग कार्य समाप्त होने की उपरान्त सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात ही उपयोग में लाया जायेगा।

6 निर्माण की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्राप्त होने के छः माह के अन्दर प्लाटिंग कार्य प्रारम्भ होगा। यदि किसी कारण प्लाटिंग कार्य उक्त निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं हुआ है तो प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत प्रार्थना पर अध्यक्ष पुनः विचार कर कार्य करने की अवधि बढा सकते है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से दो साल से अधिक नहीं बढाई जा सकती है।

7--मानचित्र स्वीकृति दिनांक से केवल तीन वर्ष तक वैध है।

8--स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के.वी. की लाइन के लिए कैरिज छोड दिया जाना चाहिए। लो एवं मध्यम वोल्टेज विधुत लाईन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम् उर्ध्वाधर/क्षैतिज कमशः 2.50 मी0 व 1.20 मी0 हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विधुत लाइन से निर्माण की न्यूनतम् दूरी उर्ध्वाधर/क्षैतिज कमशः 3.70 मी0 एवं 2 मी0 होगी।

09--आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

10--पार्को तथा खुले स्थान से मानको के अनुसार ऐसे पड पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे रह सके तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।

11--रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सड़को के द्वारा भू--खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू--आच्छादन पर एक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

12--कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी और प्रत्येक कर्मचारी कार्यस्थल पर सुरक्षाकिट के साथ ही कार्य करेगा।

13--कोई भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

14--उक्त संदर्भित स्थल पर आवश्यकतानुसार वृक्ष/पौधारोपण लगाने जाने अनिवार्य है।

Scanned with CamScanner

15--स्वीकृत मानचित्र का कार्य कराये जाने हेतु सम्बन्धित खसरा/गाटा का एरियां का राजस्व विभाग से संपर्क कर निर्माण प्रारम्भ करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

16--जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नोटीफाइड एरियां, टाउन एरियां तथा नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, लीडा आदि क्षेत्रों को छोड़कर ही प्लाटिंग की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

इस अनुज्ञा पत्र की कम संख्या 01 से 16 तक अंकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
लखनऊ।

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ।

पत्रांक 392 /नक्शा/जि0पं0/200 -200 दिनांक 6-10-2021

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1--अभियन्ता, जिला पंचायत, लखनऊ।

2--सम्बन्धित अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, लखनऊ।

3--महादेवा हिमसिटी महादेवा स्टेटबिला प्राइवेट लिमिटेड को सूचनार्थ उनके प्रार्थना पत्र के कम में।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्रेषक, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या-- 1113 / उपा / मु.न.नि. / 2019--20 दिनांक 11.10.2019	सेवा में, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ

विषय

लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जिला पंचायत लखनऊ द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा निवास अनुभाग--2, नोटिफिकेशन सं0--1892 / XXXVI-2-21-DA-92, दिनांक--13.09.1974 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण का गठन किया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्य क्षेत्र हेतु निवास अनुभाग--2, नोटिफिकेशन सं0--3923 / XXXVII-2-4-(DA)-72, दिनांक--11.09.1974 लखनऊ विकास क्षेत्र को घोषित किया गया है। इसके अन्तर्गत तत्समय नगर महापालिका सीमा से 08 किलोमीटर व्यास के अन्तर्गत स्थित नगर के चारो ओर भूमि का विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

लखनऊ की प्रथम महायोजना, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 1970 में तैयार की गयी थी। प्रथम लखनऊ महायोजना 1970 से प्रभावी होने के बाद समय-समय पर इसमें कतिपय संशोधन हुये हैं। वर्तमान में शासनादेश सं0--1504(1) / आठ--1--3--16 / 308 विविध / 2011 दिनांक 19.12.2016 के माध्यम से स्वीकृत की गयी लखनऊ महायोजना-2031 प्रभावी है एवं महायोजना मानचित्र से विस्तारित लखनऊ विकास क्षेत्र स्वतः ही स्पष्ट है।

महायोजना तैयार किये जाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न सर्वेक्षण एवं विश्लेषण के आधार पर नियोजित, सुचारु विकास हेतु नीतियों का निर्धारण कर प्रारूप तैयार कराया जाता है। उक्त प्रारूप पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त आम जनता से आपत्ति / सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से महायोजना की प्रदर्शनी की जाती है एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता से आपत्ति एवं बहुमूल्य सुझाव प्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर सुनवाई हेतु शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित है। आम जनता के साथ-साथ शासन के विभागों को भी महायोजना की प्रति आपत्ति / सुझाव हेतु प्रेषित की जाती है। आपत्ति / सुझाव निस्तारण के उपरान्त महायोजना शासन के अनुमोदन उपरान्त प्रभावी होती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत वर्तमान में लखनऊ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ निम्न 307 ग्राम सम्मिलित हैं:--

तहसील--सरोजनी नगर							
क्रम	ग्राम का नाम	क्रम	ग्राम का नाम	क्रम	ग्राम का नाम	क्रम	ग्राम का नाम
1	सुरैनपुर	8	बरौली खलीलाबाद	15	सकरा	22	महलवारा
2	मदौली	9	सोनई	16	मदारपुर	23	रेवरी
3	मवई पड़ियाना	10	[illegible]	17	[illegible]	24	सीवा
4	भौली	11	[illegible]	18	पुरैना	25	[illegible]
5	पूरबकल्ली	12	बरौना	19	[illegible]	26	मदारपुर
6	कल्ली पश्चिम	13	शिवरी	20	[illegible]		
7	निजरा	14	बेहटा	21	नकटौरा		

तहसील–मलिहाबाद

236	ग्रीनपुर	239	मलिहाबाद	242	किन्दौली	245	मलाम
237	दुर्गौली	240	अल्लूपुर	243	गोसौरा	246	फतेहनगर
238	गण्डौली	241	कुचकिया	244	कटौली	247	जमालुद्दीननगर

तहसील–मोहनलालगंज

248	मऊ कंजेहरा	263	मांझपुर	278	महटवारा	293	बालकनगर
249	मस्तेमऊ	264	सराय सरौरा	279	सिकन्दरपुर अमोलिया	294	परेहटा
250	मादरमऊ खुर्द	265	सलौली	280	सिकन्दूरा	295	रहिमर
251	मादरमऊ कलां	266	सेमनापुर	281	खतीबाबाद	296	खुजौली
252	मवय्यारा	267	मलौली	282	मोहारी खुर्द	297	हरिकंश गढ़ी
253	सौरासी	268	मोरियावां	283	मोहारीकलां	298	अतौला
254	चौरहिया	269	मलियाखेड़ा	284	हसुआपुर	299	पुरसैनी
255	मलूकपुर	270	पौंद पारा	285	सिठौली खुर्द	300	इन्द्रजीत खेड़ा
256	बकमा	271	काशिमपुर बिरूहा	286	बेंती	301	धर्मावत खेड़ा
257	पुनारगंज	272	गंगाप्रसादनगर	287	शिवलर	302	परमानंद खेड़ा
258	गुरुपुरबेहटा	273	सांगिंर कंजेहरा	288	गंगापुर मुंशीगंज	303	मऊ
259	सल्लाहीमऊ	274	मार्कण्डेयनगर हिकरिया	289	सरथुआ	304	डेहवा
260	गोंवामऊ	275	कनीरपुर	290	मोहिद्दीनपुर	305	मरवा
261	सहरामऊ	276	सठवारा	291	शिवपुरी	306	भौंदरी
262	महमूदपुर	277	गंगदुआ	292	पुरनपुर	307	अतरौली

लखनऊ महायोजना–2031 में प्रदर्शित लखनऊ विकास क्षेत्र में पड़ने वाले नगर निगम क्षेत्र एवं उपरोक्त ग्रामों के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत न किये जायें।

भवदीय,

(प्रभु एन० सिंह)
उपाध्यक्ष,

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आपने स्तर से भी जिला–पंचायत, लखनऊ को लखनऊ महायोजना–2031 में प्रदर्शित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सचिव, रेरा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ।
7. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

(नितिन मित्तल)
मुख्य नगर नियोजक।

Scanned with CamScanner

PROJECT

PROPOSED MAHADEVA HIM CITY ON KHASRA NO. 1085 KA, 1087, 1091, 1092, 1096, 1098, 1106 KA, 1111 KA, 1112, 1113 KA, 1115 AT NIGOHA, RAIBARELI ROAD, LUCKNOW, UTTAR PRADESH

1. TOTAL LAND AREA : 10,868.30 SQ.M.
2. TOTAL PLOTTED AREA : 5,252.57 SQ.M.
3. ROAD AREA : 5,204.17 SQ.M.
4. GREEN AREA : 411.56 SQ.M.
5. PLOT AREA IN PERCENTAGE : 48.33 %

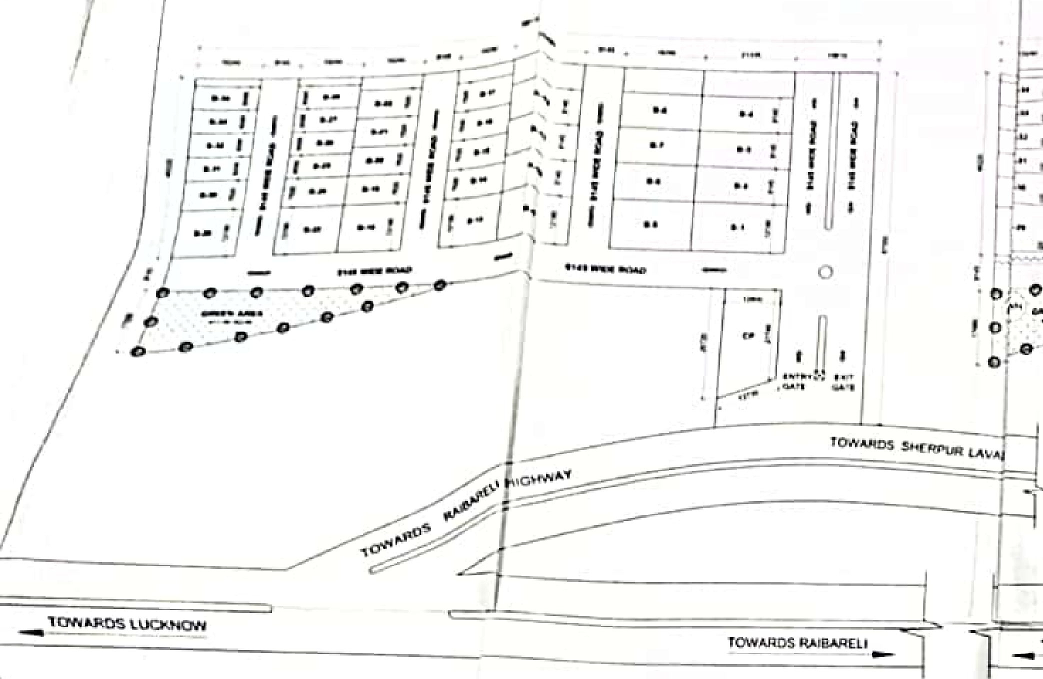

PLOTTING LAYUT PLAN

SCALE - 1:6

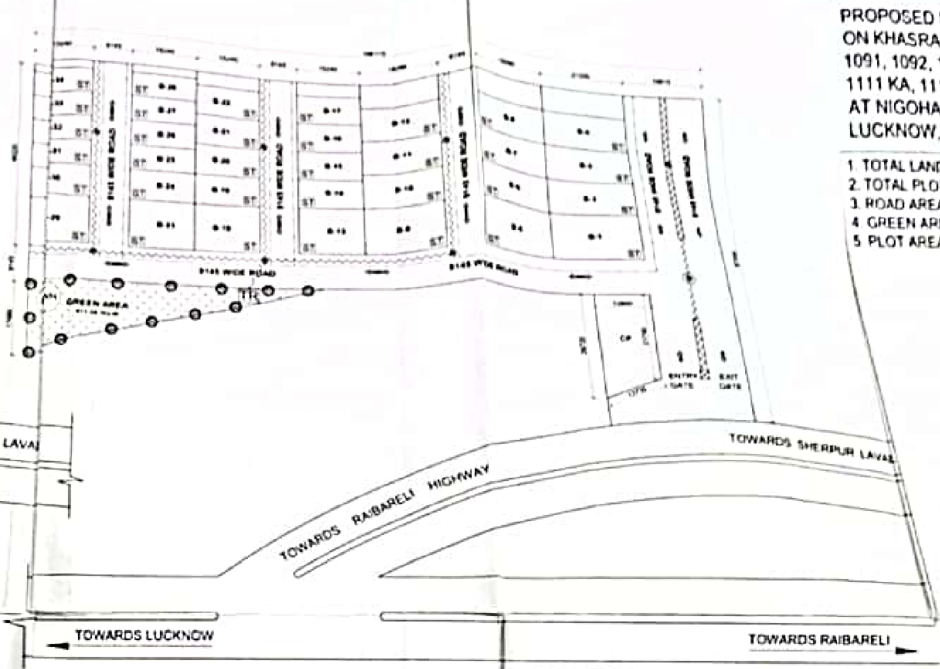

PLOTTING LAYOUT SERVICES PLAN

SCALE - 1:600

PLOT AREA STÆMENT

Plot No.	L	B	AREA	Unit	Nos.	AREA	Unit
CP	-	-	310.2	SQ.M.	1	310.20	SQ.M.
B1	21.335	12.190	260.0	SQ.M.	1	260.07	SQ.M.
B2-B4	21.335	9.145	195.1	SQ.M.	3	585.33	SQ.M.
B5	18.290	12.190	222.96	SQ.M.	1	222.96	SQ.M.
B6-B8	18.290	9.145	167.26	SQ.M.	3	501.79	SQ.M.
B9	18.290	12.190	222.96	SQ.M.	1	222.96	SQ.M.
B10-B12	18.290	9.145	167.26	SQ.M.	3	501.79	SQ.M.
B13	15.240	12.190	185.78	SQ.M.	1	185.78	SQ.M.
B14-B17	15.240	7.620	116.13	SQ.M.	4	464.52	SQ.M.
B18	15.240	12.190	185.78	SQ.M.	1	185.78	SQ.M.
B19-B22	15.240	7.620	116.13	SQ.M.	4	464.52	SQ.M.
B23	15.240	12.190	185.78	SQ.M.	1	185.78	SQ.M.
B24	15.240	7.620	116.13	SQ.M.	1	116.13	SQ.M.
B25-B28	15.240	6.095	92.89	SQ.M.	4	371.55	SQ.M.
B29	15.240	12.190	185.78	SQ.M.	1	185.78	SQ.M.
B30	15.240	7.620	116.13	SQ.M.	1	116.13	SQ.M.
B31-B34	15.240	6.095	92.89	SQ.M.	4	371.55	SQ.M.
TOTAL					35	5252.57	SQ.M.

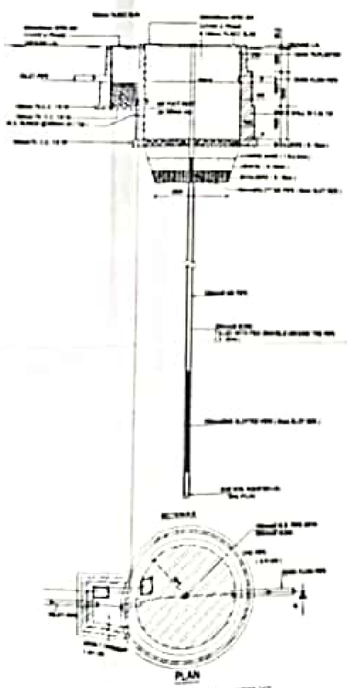

RAIN WATER HARVESTING (RECHARGE SHAFT)

LEGEND

S.NO	NAME	SYMBOL
1	ELECTRIC WIRE	
2	ELECTRIC POLE	
3	SEPTIC TANK	ST
4	DRAIN	
5	TRANSFORMER	TR
6	RAIN WATER HARVESTING	

NOTE :-
BORING & SEPTIC TANK CONSTRUCTION TO BE DONE BY OWNERS OF INDIVIDUAL PLOT

DRG TITLE

SUBMISSION DRAWING

NORTH	SCALE	DRAWING NUMBER
	As Shown	1/1

AMIT RAJ

Owner's Sign

Architect's Sign

Scanned with CamScanner